फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सुजानगढ़

पीठासीन अधिकारी– रतन कुमार स्वामी आर.ए.एस.

वाद पत्र– अन्तर्गत धारा 88 आरटीए व 136 एलआर एक्ट मु.नं. 75/सन् 2019

<table>
<tr><th>तारीख हुक्म</th><th>हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियलस जज</th><th>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</th></tr>
<tr><td>28.08.2019</td><td>
यह वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत वादी ओमप्रकाश जाति गोसाईं निवासी मुरडाकिया ने वाद पत्र केम्प कोर्ट सालासर में प्रस्तुत किया गया। वाद पत्र की पत्रावली मुर्तिब हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जावे।
प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम मुरड़ाकिया की जमाबन्दी संवत 2073–76 नया खाता खंख्या 68 में प्राथी का नाम राजस्व रिकार्ड में नूनगीर पुत्र चुनगीर जाति गोसाईं निवांसी मुरड़ाकिया दर्ज है। जो गलत है। नूनगीर मेरे पिता हैं जिनका नामा सं. 638/06.06.2019 विरासतन दर्ज है। जिसके द्वारा हम वारीसों के नाम खातेदारी में दर्ज हो चुके थे। लेकिन वर्तमान जमाबन्दी में नूनगीर पुत्र चुनगीर हिस्सा 1/20 आ रहा है। जो गलत है। प्रार्थी का नाम दिनांक 06.06.2016 की जमाबन्दी व पटवारी रिपोर्ट के अनुसार खातेदारान का नाम श्यामा देवी पत्नी नुनगीर, ओमप्रकाश गिर, शिवगिर, मांगा देवी, पुत्र पुत्रीयां स्व. नुनगिर हिस्सा 1/20 जाति गुसांई सखातेदार है। शुद्ध किया जाने के आदेश फरमावे।
वाद पत्र प्रस्तुत होने पर उप तहसीलदार सालासर से रिपोर्ट ली गई पटवार हल्का मुरड़ाकिया भु अभिलेख नि. सालासर व उप तहसीलदार सालासर ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि जमाबंदी संवत 2073–76 में प्रार्थी का नाम नूनगीर पुत्र चुनगीर जाति गोसाईं निवासी मुरड़ाकिया दर्ज है। जो गलत है। संलग्न दस्तावेज व पटवारी रिपोर्ट के अनुसार सखातेदार का सही नाम श्यामा देवी पत्नी नुनगीर, ओमप्रकाश गिर, शिवगिर, मांगा देवी, पुत्र पुत्रीयां स्व. नुनगिर हिस्सा 1/20 जाति गुसांई सखातेदार है। जो शुद्ध किया जाना उचित है।
पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र व दस्तावेजात एंव भू–अभिलेख निरीक्षक सालासर की रिपोर्ट तथा उप तहसीलदार सालासर की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अंनुसरण में ग्राम मुरड़ाकिया तहसील सुजानगढ़ व जिला चूरू की जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 में नया खाता संख्या 68 में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्व किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैः–
<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>ग्राम</th><th>खाता संख्या</th><th>वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)</th><th>आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज की जानी है)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>मुरड़ाकिया</td><td>68</td><td>नूनगीर पुत्र चुनगीर जाति गोसाईं निवासी मुरड़ाकिया</td><td>श्यामा देवी पत्नी नुनगीर, ओमप्रकाश गिर, शिवगिर, मांगा देवी ,पुत्र पुत्रीयां स्व. नुनगिर हिस्सा 1/20 जाति गुसांई सा.देह खातेदार</td></tr>
</table>
निर्णय की प्रति तहसीलदार राज़स्व सुजानगढ़ को भिजवाई जाये। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।
निर्णय आज दिनांक 28.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर केम्प कोर्ट सालासर में सुनाया गया।
28/08/19
उपखण्ड़ अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, सुजानगढ़
उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़
</td><td></td></tr>
</table>